केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं. 364/टीएल/2023 दिनांक: 12.03.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब 'पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड' के रूप से ज्ञात), पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेज–III पार्ट–सी1 के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	2x240 एमवीएआर, (765 केवी) बस रिएक्टर एवं 2 x125 एमवीएआर(420 केवी) बस रिएक्टर सहित रामगढ़ में 2 x 500 एमवीए 400/220 केवी पूलिंग स्टेशन तथा 2 x 1500 एमवीए, 765/400 केवी की स्थापना 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी - 2 नं. (1 स्पेयर यूनिट सहित 7 x 500 एमवीए) 765 केवी आईसीटी बे - 2नं. 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 2नं. 400 केवी आईसीटी बे - 4नं. 220 केवी आईसीटी बे - 2नं. 420 केवी लाईन बे - 1नं. 220 केवी लाईन बे - 2नं. 765 केवी लाईन बे - 2नं. 240 एमवीएआर बस रिएक्टर –2नं.((1 स्पेयर यूनिट सहित 7 x 80 एमवीएआर) 765 केवी रिएक्टर बे - 2नं 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर –2नं. 420 केवी रिएक्टर बे - 2 नं 400 केवी सेक्सनाईलेजेन बे - 1 सैट **भावी उपबंध - निम्नलिखित के लिए** बे सहित 765/465 केवी आईसीटी - 5नं. स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित 765 केवी लाईन बे - 2नं. बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर - 2नं. बे सहित 400/220 केवी आईसीटी - 8नं: स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित 400 केवी लाईन बे -4नं. 400 केवी लाईन बे - 3नं. बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर - 2नं. 400 केवी सेक्सनाईलेजेसन बे - 2सेट** 220 केवी लाईन बे - 13नं. 220 केवी सेक्सनाईलेजेसन बे - 2नं."	18 मास
2.	रामगढ़ पीएस – रामगढ़ पीएस के रामगढ़ सिरे पर प्रत्येक सर्किट पर 240 एमवीआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित भादला - 3 पीएस 765 केवी डी/सी लाईन – भादला - 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर - 2 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण – 2	
3.	भादला में 765 केवी लाईन बे – 3पीएस 765 के वी लाईन बे – 2नं	
4.	रामगढ़ पीएस में 400 केवी बे के 2नं. सहित 2X125 एमवीएआर एमएसआर, 2X300 एमवीएआर स्टेटकॉम, 4 X 125 एमवीएआर एमएससी	24 मास

*** बस सेक्सनालाईजेशन बे में मेन बस I और मेन बस II दोनों के बस सेक्सनाईलेजेशन शामिल होंगे।*

नोट:

i. उपर्युक्त सेक्सनालाईजेशन का उपबंध शार्ट सर्किट के स्तर का सीमित करने के लिए 400 केवी और 220 केवी स्तर पर रामगढ़ में किया जाएगा।

ii. भादला 3 एस/एस का विकासकर्ता रामगढ़ पीएस – भादला 3 पीएस 765 केवी डी/सी लाईन के समापन के लिए भादला 3 एस/एस पर 765 केवी लाईन बे के 2नं. के लिए स्थान प्रदान करेगा।

iii. फेज III पार्ट सी1 की कार्यान्वियन अनुसूची पैकेज फेज III पार्ट बी1 के अनुरूप होगी (भादला 3 पीएस 765 केवी भादला – 3 पीएस सीकर 2 डी/सी लाईन, 400 केवी भादला 3 पीएस फतेहगढ़ – 2 डी/सी लाईन की स्थापना।

iv. ±300 एमवीएआर स्टेटकॉम रामगढ़ पीएस के प्रत्येक 400 केवी बस सेक्शन में रखा जाना चाहिए।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 1615.05 - मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 13.12.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 364/टीएल/2023 में दिनांक 12.03.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid/.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **01.04.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **03.04.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव